राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	Regd. No. RJ. 33/97 RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

अग्रहायण 12, बुधवार, शाके 1919–दिसम्बर 3, 1997

Agrahayana 12, Wednesday, Saka 1919— December 3, 1997

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उपविधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 20, 1997

जी. एस. आर. 78.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में–

(1) नियम 4 के विद्यमान उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(3) इन नियमों के अधीन जिलों में नियुक्त किये जाने वाले लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों और विशिष्ट लोक अभियोजकों की संख्या उतनी होगी जितनी उप-नियम (2) के अधीन समय-समय पर अवधारित की जाये और यह कि सेवा में उक्त पदों की संख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों और विशिष्ट लोक अभियोजकों के पदों को छोड़कर, राज्य में के ऐसे पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

17.	The Rajasthan ... 1960.
18.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960.
19.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960.
20.	The Rajasthan Industries Service Rules, 1960.

C:\DOCS\WORK\MS-WORD\RULES\Notification regarding service rules.doc

235/c

(2) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
"1.	उपनिदेशक/लोक अभियोजक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	सहायक निदेशक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक, जो इन नियमों के अधीन इस रूप में नियुक्त किये गये हैं।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री (पुरानी स्कीम के अधीन दो वर्षीय पाठ्यक्रम या नयी स्कीम के अधीन तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) या विधि (वृत्तिक) में डिग्री या सरकार द्वारा इनके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हताएं और स्तम्भ सं. 4 में उल्लिखित पद पर चार वर्ष का अनुभव।	-
2.	सहायक निदेशक/ अपर लोक अभियोजक/ विशिष्ट लोक अभियोजक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-I जो इन नियमों के अधीन इस रूप में नियुक्त किये गये हैं।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री (पुरानी स्कीम के अधीन दो वर्षीय पाठ्यक्रम या नयी स्कीम के अधीन तीन	अभियोजन निरीक्षक के रूप में की गयी सेवा की गणना सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-I के रूप में की गयी सेवा

1	2	3	4	5	6
				वर्षीय पाठ्[illegible]क्रम) या विधि	के रूप में की जायेगी।

1	2	3	4	5	6
				वर्षीय पाठ्यक्रम) या विधि (वृत्तिक) में डिग्री या सरकार द्वारा इनके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हताएं और स्तम्भ सं. 4 में उल्लिखित पद पर पाँच वर्ष का अनुभव।	के रूप में की जायेगी।
3.	सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-I	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा नियम, 1978 द्वारा शासित सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-II	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री (पुरानी स्कीम के अधीन दो वर्षीय पाठ्यक्रम या नयी स्कीम के अधीन तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) या विधि (वृत्तिक) में डिग्री या सरकार द्वारा इनके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हताएं और स्तम्भ सं. 4 में उल्लिखित पद पर पाँच वर्ष का अनुभव।	अभियोजन उप निरीक्षक के रूप में की गयी सेवा की गणना सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-II के रूप में की गयी सेवा के रूप में की जायेगी।"

स्पष्टीकरण :-

(1) उप निदेशक और लोक अभियोजक के पद अन्तर-स्थानान्तरणीय होंगे।

(2) सहायक निदेशक, अपर लोक अभियोजक और विशिष्ट लोक अभियोजक के पद अन्तर-स्थानान्तरणीय होंगे।

[सं. एफ. 1(4) कार्मिक-2/93]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सूरजमल केड़वाल,

उप शासन सचिव।

236/C

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr. II)

NOTIFICATION

Jaipur, November 20, 1997

G. S. R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules—

(1) After the existing sub-rule (2) of rule 4, the following new sub-rule (3) shall be added, namely:—

"(3) The strength of Public Prosecutors, Additional Public Prosecutors and Special Public Prosecutors appointed in the Districts under these Rules, shall be such as may be determined from time to [illegible] sub-rule (2) and that the [illegible] Service shall not exceed [illegible] of such posts in the State [illegible] Public Prosecutors, Additional Public [illegible] and Special Public Prosecutors working in Rajasthan High Court."

(2) For the existing schedule, the following shall be

substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of post	Method of recruitment	Post from which promotion is to be made	Qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6
"1.	Deputy Director/ Public Prosecutor	100% by promotion	Assistant Director/Additional Public Prosecutor/Special Public Prosecutor, appointed as such under these Rules.	Degree in Law (two years' Course under the old Scheme or three years' Course under the new Scheme) or Degree in Law (Professional) from a University established by law in India or qualifications recognised by the Govt. as equivalent thereto, and four years' experience on the post mentioned in Column No. 4.	-
2.	Assistant Director/ Additional Public Prosecutor/Special Public Prosecutor	100% by promotion	Assistant Public Prosecutor Grade-I, appointed as such under these Rules.	Degree in Law (two years' Course under the old Scheme or three years' Course under the new Scheme) or Degree in Law (Professional) from a University established	Service rendered as Prosecuting Inspector will be counted as service as Assistant Public Prosecutor Grade-I.

1	2	3	4	5	6
				by law in India or qualifications recognised by the Govt. as equivalent thereto, and five years' experience on the post mentioned in Column No. 4.	
3.	Assistant Public Prosecutor Grade-I	100% by promotion	Assistant Public Prosecutor Grade-II, governed by the Rajasthan Subordinate Prosecution Service Rules, 1978.	Degree in Law (two years' Course under the old Scheme or three years' Course under the new Scheme) or Degree in Law (Professional) from a University established by law in India or qualifications recognised by the Govt. as equivalent thereto, and five years' experience on the post mentioned in Column No. 4.	Service rendered as Prosecuting Inspector will be counted as service as Assistant Public Prosecutor Grade-II."

Explanations:—(1) The post of Deputy director and Public Prosecutor shall be inter-transferable.
(2) The post of Assistant Director, Additional Public Prosecutor and Special Public Prosecutor shall be inter-transferable.

[No. F. 1(4) DOP/A-II/93]
By Order and in the name of the Governor,
सूरजमल केड़वाल,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

7/8.8.6